रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251740
SG-DL-E-02022024-251740

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 415
No. 45]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945	[N. C. T. D. No. 415

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

फा. सं. 13(64)/2023/क.सं.एवंभा./4118.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 03/09/1981 की अधिसूचना सं0फा0 2(83)/80–एस.II एवं दिनांक 29/07/1993 की अधिसूचना सं0फा0 17/3/92–एसएडी/4484 द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में 'पंजाबी अनुवादक' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, पंजाबी अनुवादक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **षिथिल करने की षक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :—इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**पंजाबी अनुवादक**
2.	पदों की संख्या	:	01'(2024) 'परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित,समूह—'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर—5 (रुपये 29200—92300/)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 वर्ष के बीच' 'यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी। **टीप 1**:— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। **टीप 2**:—केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	**अनिवार्य**:— (1)स्नातक में मुख्य/ऐच्छिक विषयों में से एक विषय के रूप में अंग्रेज़ी सहित किसी मान्यता—प्राप्त वि''वविद्यालय से पंजाबी में स्नातकोत्तर उपाधि। अथवा पंजाबी और अंग्रेज़ी वैकल्पिक अथवा मुख्य विषयों के साथ किसी मान्यता—प्राप्त वि''वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) सीनियर सेकेण्डरी अथवा सेकेण्डरी के स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में। **टीप 1**:—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष सीधी भर्ती के लिए
10.	भर्ती की पद्धति	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक या स्वायत्त निकायों/ मान्यता–प्राप्त वि"वविद्यालयों/मान्यता–प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:– (क)(प) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (पप) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित अथवा समकक्ष; **तथा** (ख) कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले– **टीप** :–प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों (03) से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति :** 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), रा0रा0क्षे0दि0स0–**अध्यक्ष** 2. सचिव (क0सं0एवंभा0),रा0रा0क्षे0दि0स0 –**सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0–**सदस्य** **टीप** :–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आव"यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव

DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2024

F. No. 13(64)/2023/ACL/4118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No.F.2(83)/80-S.II dated 03/09/1981and No.F.17/3/92-SAD/4484 dated 29/07/1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Punjabi Translator' in the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

(1)These rules may called the Department of Art, Culture & Languages, Punjabi Translator Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	*Name of Post.*	**Punjabi Translator**
2.	*Number of Posts.*	*01* (2024)* *Subject to variation dependent on workload.
3.	*Classification.*	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group-C
4.	*Pay Level in the Pay Matrix.*	Level – 5 (Rs. 29200-92300)
5.	*Whether Selection Post / Non-Selection Post.*	Not Applicable
6.	*Age limits for Direct Recruits.*	Between 18 years and 25 Years* **In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be – between 18 years and 27 years.* **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/ Competent Authority. **Note 2**: The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	*Educational and other qualification required for direct recruits.*	**Essential :** (1) Master's Degree in Punjabi from a recognized University with English as one of the main/elective subjects in graduation. **OR** Graduation Degree from a recognized University with Punjabi and English optional or main subjects.

		(2) Hindi as a subject at the level of Senior secondary or secondary. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Selection Board/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.
8.	*Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.*	Not Applicable
9.	*Period of Probation if any.*	Two years for direct recruits.
10.	*Method of Recruitment.*	By deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.
11.	*In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.*	**Deputation (ISTC) :** Officers from the Central Government/ State Governments/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/ Recognized Universities/ Recognized Research Institutes : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department; **AND** (b) possessing the educational qualifications prescribed in Column 7. **Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the application.
12.	*If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*	***Group-'C' Departmental Confirmation Committee consisting of :*** *1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi :* ***Chairman*** *2. Secretary (ACL), Government of National Capital Territory of Delhi :* ***Member*** 3. Deputy Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** **Note :** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	*Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.*	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.02 22:50:00 +05'30'